



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 946/2026

रिंकू चौहान

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार चौधरी, कमलेश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार चौधरी तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए प्रस्तुत की गई है:
"प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 02.07.2025 (रिट याचिका के साथ संलग्नक संख्या-7) पर विचार करे तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करे।"
3. यद्यपि विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री उमराव ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 का चयन पहले हो चुका है, तथापि न्यायालय पाता है कि प्रार्थना खंड में प्रतिवादी संख्या 5 के चयन एवं नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई है।
4. अतः, ऐसी स्थिति में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
5. इस चरण पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी, साथ ही नई याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता भी चाही।
6. तदनुसार, रिट याचिका को वापस लिए जाने के रूप में निरस्त किया जाता है, साथ ही यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि याचिकाकर्ता बेहतर विवरणों के साथ पुनः याचिका दाखिल कर सकता है।

जनवरी 28, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"